न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :—श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 47 / 2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 रामसिंह पुत्र सतीदानसिंह 2 ओमसिंह 3 विजयसिंह 4 गिरधरसिंह पिसरान भैरसिंह जाति राजपूत निवासी मूले का तला, ग्राम पंचायत गंगासरा तहसील व जिला वाडमेर।		1 घमण्डाराम पुत्र दुर्गाराम 2 भोमाराम पुत्र प्रहलादराम 3 भैराराम 4 बांकाराम 5 पाबूराम 6 पेमाराम 7 केशराराम पिसरान देदाराम 8 चनणी पत्नी देदाराम 9 हड़मानराम पुत्र रासाराम जाति जाट निवासी मूले का तला, गंगासरा तहसील व जिला वाडमेर 10 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री डूंगरसिंह महेचा, वकील वादीगण।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 30/01/23

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मूले का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 672 / 362 रकबा 179.15 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी की आई हुई है। वादीगण अपने खेत की पक्की नेखमबन्दी करने हेतु वादीगण ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बाडमेर में एक राजस्व आवेदन संख्या 1300 / 2017 प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 22.01.2018 को तहसीलदार बाडमेर को नेखमवन्दी आदेश जारी किया गया जिस पर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के आदेशानुसार भू.अ. निरीक्षण सरली व पटवार हल्का सरली द्वारा दिनांक 24.04.2022, 25.04.2022 व 29.04.2022 को मौका निरीक्षण कर भूमि नापकर व सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा तैयार किया गया जिस पर वादीगण का खसरा संख्या 672 / 362 में प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया जिस पर मौका फर्द में बरंग हरा से दर्शाया गया है। वादीगण के खसरा संख्या 672 / 362 में प्रतिवादी सख्या 01 से 09 द्वारा अवैध कब्जा व पानी के टांके होना पाये गये है, जिस पर राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 01 से 09 को अवैध कब्जा हटाने को कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से स्पष्ट मना कर दिया जिस पर राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण को माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु कहा। उक्त ज्ञान होने पर वादीगण ने माननीय न्यायालय में हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 09 से कई बार समझाईश कर दी है परन्तु प्रतिवादीगण झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण वादीगण की भूमि पर और जबरन कब्जा करना चाहते है। वादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि उपर्युक्त भूमि जो वादीगण के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 09 द्वारा किये गये अवैध कब्जा जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका फर्द व नक्शा से प्रमाणित है। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा मूले का तला पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या

सहायक कलक्टर

672/362 रकबा 179.15 बीघा में जबरन अवैधानिक रूप से प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को राजस्व आवेदन संख्या 1300/2017 की मौका फर्द में बरंग हरा से प्रदर्शित भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने का आदेश प्रदान करावें तथा प्रतिवादीगण, वादीगण की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ईकतरफा।

वकील वादीगण बहस सुनी गई। वकील वादीगण का तर्क है कि वादीगण ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बाडमेर में एक राजस्व आवेदन संख्या 1300/2017 प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 22.01.2018 को तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को नेखमबन्दी ओदश जारी किया गया जिस पर तहसीलदार बाडमेर के आदेशानुसार भू.अ. निरीक्षण सरली व पटवार हल्का सरली द्वारा दिनांक 24.04.2022, 25.04.2022 व 29.04.2022 को मौका निरीक्षण कर भूमि नापकर व सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा तैयार किया गया जिस पर वादीगण का खसरा संख्या 672/362 में प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया जिस पर मौका फर्द में बरंग हरा से दर्शाया गया है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 09 द्वारा किये गये अवैध कब्जा जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका फर्द व नक्शा से प्रमाणित है। अतः वादीगण की भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील वादीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण ने वादी संख्या 01 रामसिंह पुत्र सतीदानसिंह व वादी संख्या 02 ओमसिंह पुत्र भैरसिंह का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2073 से 2076 प्रस्तुत की जो प्रदर्श–01 है, तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक 215 दिनांक 18.05.2022 की प्रति मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो प्रदर्श–02 है। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण के खेत की नेखमबन्दी का राजस्व आवेदन संख्या 1300/2017 आदेश दिनांक 22.01.2018 पर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के आदेशानुसार भू.अ. निरीक्षण सरली व पटवार हल्का सरली द्वारा दिनांक 24.04.2022, 25.04.2022 व 29.04.2022 को मौका निरीक्षण में सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा का अवलोकन किया गया। उक्त मौका फर्द व संलग्न नक्शा अनुसार यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 01 से 09 ने वादीगण के खेत में जबरन कब्जा कर अवैध तरीके से पानी के टांके बना कर कब्जा किया गया है। मौका फर्द में यह अंकित किया गया है कि खसरा संख्या 620/384, 621/384 व 622/384 के खातेदारान का कब्जा 672/362 में होने से बिन्दु संख्या क्यू. से एक्स स्थान पर पक्के नेखमबन्दी की कार्यवाही संभव नही हो सकी इस कारण नक्शे में बरंग हरा दर्शाया गया है। यदि

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

तिवादी संख्या 01 से 09, वादीगण के कब्जे में जबरन और कब्जा करते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है। लिहाजा दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा मूले का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 672/362 रकबा 179.15 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 09 द्वारा किये गये अवैध कब्जे जो तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक 215 दिनांक 18.05.2022 के संलग्न मौका रिपोर्ट मय नक्शा में बिन्दु संख्या क्यू से एक्स स्थान पर जो बरंग हरा से दर्शित है को प्रतिवादीगण, वादी को कब्जा सुपूर्द करें। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। **तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण उक्त अवैध कब्जे को प्रतिवादीगण से आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद की सहायता से वादीगण को कब्जा दिलवाया जाना सुनिश्चित कर निर्णय की पालना करें।** डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 30/01/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 30/01/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर